संख्या-106/2019/1746/26-3-2019

प्रेषक,

धीरज कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0,लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ:दिनांक 22अप्रैल 2019

विषय:- **चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 की अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत योजनाओं हेतु किये गये आय-व्ययक प्राविधान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास के पत्रांक-08/140/ज0जा0वि0/लेखा/ 2019-20, दिनांक-05.04.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च 2019 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अधीन अनुदान सं0-81 के लेखाशीर्षक-**"2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण"** के अंतर्गत चालू कार्यक्रमों पर व्यय किये जाने हेतु संलग्न परिशिष्ट में दिये गये विवरण के अनुसार मतदेय पक्ष में **रूपया-2412.02 लाख (रूपया चैबीस करोड़ बारह लाख दो हजार मात्र)** के सापेक्ष **रू0-2353.22 लाख (रूपये तेइस करोड़ तिरपन लाख बाइस हजार मात्र)** की धनराशि अवमुक्त कर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उपर्युक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार यथासमय महालेखाकार एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त मदों पर होने वाला व्यय शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। उपर्युक्त अनुदान के अंतर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय।

(3) उपर्युक्त धनराशियां व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुवल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(4) धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/ दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च 2019 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत की जा रही है।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय

धीरज कुमार
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0संख्या-106 /2019/1746 (1)/26-3-2019-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद।
2-प्रधान महालेखाकार (सिविल ऑडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3-मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ।
4-निदेशक एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
5-वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-4
6-वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1/2
7-गार्डफाइल।

आज्ञा से,

धीरज कुमार
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या–106/2019/1746/26–3–2019, दिनांक–22/04/19 का संलग्नक

(धनराशि लाख रू0 में)

मुख्य लेखाशीर्षक/लघुशीर्षक योजना का नाम	आय–व्ययक प्राविधान 2019–20	शासन से स्वीकृति हेतु मांग
1	2	3
1–राजस्व व्यय–		
मुख्य लेखाशीर्षक–2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–		
02– अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–		
796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		
03–मुख्यालय अधिष्ठान		
01–वेतन	179.00	179.00
02–मजदूरी	1.05	1.05
03–मंहगाई भत्ता	26.85	26.85
04–यात्रा व्यय	1.50	1.50
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.50	0.50
06–अन्य भत्ते	0.50	0.50
07–मानदेय	0.10	0.10
08–कार्यालय व्यय	4.00	4.00
09–विद्युत देय	0.40	0.40
10–जलकर/जल प्रभार	0.10	0.10
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	3.00	3.00
12–कार्यालय फर्नीचर्स एवं उपकरण	5.00	5.00
13–टेलीफोन पर व्यय	1.10	1.10
14–कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों का कय	0.00	0.00
15–गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	15.00	15.00
16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2.00	2.00
17–किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	1.00	1.00
18–प्रकाशन	2.00	2.00
42–अन्य व्यय	0.00	0.00
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.50	0.50
45–अवकाश यात्रा व्यय	0.50	0.50

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	3.00	3.00
47–कॅम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	4.00	4.00
49–चिकित्सा व्यय	5.00	5.00
51–वर्दी व्यय	0.15	0.15
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	12.00	12.00
55–मकान किराया भत्ता	15.30	15.30
56–नगर प्रतिकर भत्ता	1.90	1.90
58–आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	3.00	3.00
योग–03	**288.45**	**288.45**
04– एकीकृत जनजाति विकास परियोजना खीरी व थारू विकास परियोजना बलरामपुर के अन्तर्गत चिकित्सालयों का संचालन		
26–मशीने ओर सज्जा/उपकरण और संयंत्र	1.30	1.30
39–औषधि तथा रसायन	3.50	3.50
42–अन्य व्यय	1.20	1.20
योग 04 :–	**6.00**	**6.00**
05–एकीकृत जनजाति विकास परियोजना का कियान्वयन		
01–वेतन	14.96	0.00
03–मंहगाई भत्ता	2.24	0.00
04–यात्रा व्यय	0.20	0.20
06–अन्य भत्ते	0.10	0.10
08–कार्यालय व्यय	0.20	0.20
09–विद्युत देय	0.40	0.40
10–जलकर/जलप्रभार	0.10	0.10
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	0.25	0.25
15–गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रेल आदि की खरीद	0.20	0.20
17–किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	0.20	0.00
18–प्रकाशन	0.20	0.20
19–विज्ञापन बिकी और विख्यापन व्यय	0.10	0.10
20–सहायता अनुदान–सामान्य(गैर वेतन)	39.70	0.00
42–अन्य व्यय	0.10	0.00
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय	0.20	0.20
47–कॅम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	0.40	0.40

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.90	0.00
55–मकान किराया भत्ता	0.60	0.00
56–नगर प्रतिकर भत्ता	0.10	0.00
योग 05 :–	**61.15**	**2.35**
06–जिला कार्यालय का जनजाति विकास सम्बन्धी अधिष्ठन		
01–वेतन	15.50	15.50
03–मंहगाई भत्ता	2.33	2.33
04–यात्रा व्यय	0.20	0.20
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.20	0.20
06–अन्य भत्ते	0.10	0.10
08–कार्यालय व्यय	0.50	0.50
09–विद्युत देय	0.50	0.50
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	0.40	0.40
12–कार्यालय फर्नीचर्स एवं उपकरण	0.25	0.25
17–किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	0.25	0.25
18–प्रकाशन	0.70	0.70
45–अवकाश यात्रा व्यय	0.25	0.25
49–चिकित्सा व्यय	0.50	0.50
51–वदी व्यय	0.10	0.10
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	1.31	1.31
55–मकान किराया भत्ता	0.70	0.70
56–नगर प्रतिकर भत्ता	0.10	0.10
योग 06 :–	**23.89**	**23.89**
08–अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास		
01–वेतन	10.60	10.60
02–मजदूरी	1.75	1.75
03–मंहगाई भत्ता	1.59	1.59
04–यात्रा व्यय	0.10	0.10
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.20	0.20
06–अन्य भत्ते	0.10	0.10
08–कार्यालय व्यय	0.25	0.25
09–विद्युत देय	0.75	0.75

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

10–जलकर/जल प्रभार	0.10		0.10
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	0.25		0.25
12–कार्यालय फर्नीचर्स एवं उपकरण	0.40		0.40
26–मशीने ओर सज्जा/उपकरण और संयंत्र	0.60		0.60
29–अनुरक्षण	0.80		0.80
41–भोजन व्यय	1.20		1.20
42–अन्य व्यय	0.10		0.10
43–सामग्री और सम्पूर्ति	0.80		0.80
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.05		0.05
45–अवकाश यात्रा व्यय	0.10		0.10
49–चिकित्सा व्यय	0.20		0.20
51–वर्दी व्यय	0.50		0.50
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.93		0.93
55–मकान किराया भत्ता	0.00		0.00
56–नगर प्रतिकर भत्ता	0.00		0.00
योग–08	**21.37**		**21.37**
09–अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय तथा रख–रखाव			
01–वेतन	370.50		370.50
02–मजदूरी	15.50		15.50
03–मंहगाई भत्ता	55.58		55.58
04–यात्रा व्यय	5.50		5.50
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.00		1.00
06–अन्य भत्ते	2.00		2.00
08–कार्यालय व्यय	25.00		25.00
09–विद्युत देय	20.00		20.00
10–जलकर/जल प्रभार	0.50		0.50
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	4.50		4.50
12–कार्यालय फर्नीचर्स एवं उपकरण	6.00		6.00
13–टेलीफोन पर व्यय	1.50		1.50
16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए व्यय	9.00		9.00
19–विज्ञापन, बिकी और विख्यापन व्यय	3.00		3.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

29–अनुरक्षण	9.00	9.00
31–सहायता अनुदान–सामान्य(वेतन)	270.00	270.00
39–औषधि तथा रसायन	4.50	4.50
40–औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	4.50	4.50
41–भोजन व्यय	603.00	603.00
42–अन्य व्यय	2.50	2.50
43–सामग्री और सम्पूर्ति	108.00	108.00
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक भुगतान	0.30	0.30
45–अवकाश यात्रा व्यय	0.30	0.30
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	6.00	6.00
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	6.00	6.00
49–चिकित्सा व्यय	3.00	3.00
51–वर्दी व्यय	0.50	0.50
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	23.72	23.72
55–मकान किराया भत्ता	14.90	14.90
56–नगर प्रतिकर भत्ता	2.00	2.00
58–आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	145.00	145.00
योग 09 :–	**1722.80**	**1722.80**
14–अनुसूचित जनजातियों की सहायता प्राप्त पाठशालाओं, पुस्तकालयों व छात्रावासों के सुधार/विस्तार		
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	70.00	70.00
17–जनजाति उपयोजना		
1701–एकीकृत जनजाति विकास परियोजना खीरी		
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	11.00	11.00
31–सहायता अनुदान–सामान्य(वेतन)	180.00	180.00
53–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता)	12.00	12.00
योग 1701 :–	**203.00**	**203.00**
02–जनजाति क्षेत्रीय कार्यक्रम थारू विकास परियोजना गोण्डा		
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	0.48	0.48
31–सहायता अनुदान–सामान्य(वेतन)	32.74	32.74
53–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता)	5.99	5.99
योग 02 :–	**39.21**	**39.21**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

03–अधिष्ठान व्यय हेतु आर्थिक सहायता		
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	3.00	3.00
31–सहायता अनुदान–सामान्य(वेतन)	12.00	12.00
53–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता)	1.20	1.20
योग 03 :–	16.20	16.20
04–बिखरी आवादी वाले जनजातियों का विकास		
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	1.50	1.50
31–सहायता अनुदान–सामान्य(वेतन)	27.00	27.00
53–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता)	1.45	1.45
योग 04 :–	29.95	29.95
योग 17 :–	288.36	288.36
महायोग :– राजस्व	2412.02	2353.22
(रूपये तेइस करोड़ तिरपन लाख बाइस हजार मात्र)		

22/04/19

(धीरज कुमार)
विशेष सचिव

dharmesh sir g.o

page-340

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।